प्रकरण संख्या : 20/2024
कमला देवी वगै॰ बनाम राज॰ सरकार
निर्णय दिनांक : 03.03.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	20/2024
दायर दिनांक	:	14.03.2024
निर्णय दिनांक	:	03.03.2025

1. कमला देवी पुत्री हटया जाति जोगी, निवासी गोठडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा
2. घनश्याम पुत्र हटया जाति जोगी, निवासी गोठडा तहसील भाण्डारेज जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भाण्डारेज

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज स्थित कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 54/1414, 808, 809, 810, 811 कुल किता 5 कुल रकबा 1.90 है॰ के प्रार्थीगण खातेदार काबिज काश्तकार हैं तथा उक्त भूमि के मौके पर काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। उक्त भूमि का दिनांक 20.06.2023 को सीमाज्ञान हो चुका है। प्रार्थी उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर चिह्न अंकित करवाना चाहता है ताकि किसी भी प्रकार कोई विवाद नहीं हो। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 54/1414, 808, 809, 810, 811 कुल किता 5 कुल रकबा 1.90 है॰ की पत्थरगढी करवाने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार भाण्डारेज ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण प्रश्नगत आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। तहसीलदार भाण्डारेज ने अपने जवाब में कथन किया है कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान करा दिया गया है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। चूंकि प्रश्नगत आराजी की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगनादेश नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार भाण्डारेज को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण की ग्राम आमटेडा तहसील भाण्डारेज स्थित भूमि खसरा नम्बर 54/1414, 808, 809, 810, 811 कुल किता 5 कुल रकबा 1.90 है॰ का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार प्रार्थीगण की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को प्रार्थीगण के खर्चे पर लिखित में सूचना देगा। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की जरूरत हो, तो पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त की जावे। तहसीलदार भाण्डारेज को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी * उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:39:28 IST
Reason: SelfAttested